संख्या-41/62/84-डे0ई0-14-नि0-42/2005

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 29 जनवरी, 2014

विषय:- उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था/जलपानगृहों के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-89/997/84-डे0ई0-13-नि0-42/2005, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में आपके पत्र संख्या-881/सचि0स0से0-(19)/2014, दिनांक 17 जनवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 27-02-13 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित संकल्प संख्या:वे0आ0-2-252/दस-54(एम)/08टी0सी0, दिनांक 07-2-2009 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-8(1) एवं उप प्रस्तर-10 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संस्था की गवर्निंग बाडी/प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि संस्था संस्था शत-प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित है, उनके लिए अतिरिक्त बजटीय प्राविधान करा लिया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपेक्षित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध करावें तथा उप प्रस्तर-10 में संस्था के कार्मिकों के वेतन-भत्तों (वेतनमान) आदि पर आवश्यक धनराशि के जितने प्रतिशत भाग को शासन द्वारा वहन किया जा रहा है, पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार के उतने ही प्रतिशत भाग को शासन द्वारा वहन किया जायेगा। अवशेष अतिरिक्त व्ययभार को संस्था अपने स्रोतों से किस प्रकार वहन करेगी। कृपया इस संबंध में भी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/